[illegible] उपखण्ड अधिकारी दीगोद बइजलास

[illegible] सिंह गुर्जर आर.ए.एस

दायरा तिथि

28/05/2024

निर्णय दिनाक 13/7/24

बउनवान

[illegible] आत्मज सीताराम

[illegible] आत्मज सीताराम

[illegible] आत्मज सीताराम जाति धोबी निवासीगण पाडलिया तह0 दीगोद

— वादीगण

बनाम

[illegible] आत्मज नन्दलाल

[illegible] पुत्री सीताराम पत्नि भारत भूषण

[illegible] बाई पत्नि सीताराम

[illegible] जर्ये तहसीलदार दीगोद,जिला कोटा

— प्रतिवादीगण

वाद अ0धा0 88,89 आरटीएक्ट

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही [illegible] के सदस्य है। यह कि ग्राम पाडलिया तह0 दीगोद में निम्न खसरा नम्बरान की भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि प्रतिवादी न. 1 व अन्य [illegible] के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रतिवादी न.1 का [illegible] हिस्सा दर्ज है। खसरा नम्बर 263 की 0.28, खसरा नम्बर 36 की 0.22, खसरा नम्बर 66 की 0.61, खसरा नम्बर 85 की 0.23, खसरा नम्बर 86 की 2.16 है0 कुल किता 5 की 3.50 है0 भूमि ।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

[illegible] है कि ग्राम पाडलिया तह0 दीगोद में खसरा नम्बर 525 की 0.28, खसरा [illegible] की [illegible], खसरा नम्बर 537 की 2.92, खसरा नम्बर 682 की 0.36 खसरा [illegible] की [illegible] कुल किता 5 की 4.09 है0 भूमि स्थित है।

यह कि उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि है जिस पर [illegible] से काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादी न.1 अक्सर बीमार रहता [illegible] काश्त करने में असमर्थ है इस कारण प्रतिवादी न. 1 ने अपने खाते व [illegible] खाते की वादीगण को भूमि काश्त हेतु दे दी। तथा प्रतिवादी न. 1 ता 3 [illegible] भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त नही करना चाहते है। इस वादीगण ही उपरोक्त [illegible] न.1 के खाते व शामलाती खाते की भूमि के खातेदार धोषित होने के [illegible] है।

उपरोक्त भूमि वादीगण के कब्जे काश्त में होने के कारण वादीगण किसी [illegible] की कोई सुविधा प्राप्त नही कर रहे है। इस कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण [illegible] उपरोक्त भूमि वादीगण के खाते दर्ज करने हेतु दिनांक 22.05.20024 को कहा तो प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि वादीगण ने नाम दर्ज कराने हेतु मना कर दिया। यदि प्रतिवादी न. 1 के खाते व हिस्से की भूमि का वादीगण को खातेदार धोषित नही किया गया तो इससे वादीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति नही हो सकेगी।

उपरोक्त परिस्थितियो में वादीगण के लिए माननीय न्यायालय मे खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक् हो गया है। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी न.1 हिस्से पर दर्ज कराने से दिनांक 22.05.2024 को इन्कार करने पैदा हुआ।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि वाद पत्र की मद न. 1 व 2 में अंकित विवादित आराजीयात् का वादीगण को 1/3,1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी न.1 का नाम डिलीट किये जाने की डिक्री पारित की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी गण की ओर से आर.बी.दाधीच एडवोकेट द्वारा इकबाली जवाबदावा व आपसी सहमति से लोक अदालत की भावनानुसार राजीनामा पेश किया। राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया।वकील वादी द्वारा निवेदन किया कि पत्रावली में आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है अतः वाद मे मुताबिक राजीनामा निर्णय एवं डिक्री पारित फरमावे।

अध्यक्ष   सदस्य   सदस्य

बहस सुनी गई । वकील पक्षकारान् द्वारा राजीनामा में अंकित तथ्यो को [illegible] मुताबिक राजीनामा वाद का निस्तारण कर निर्णय एवं डिक्री पारित

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड,इकबाली जवाबदावा,राजीनामा इत्याद्रि का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 माल ग्राम [illegible] दीगोद में के ख.न. 525,526,537,682,689 के बतोर खातेदार दर्ज [illegible] इसी प्रकार माल ग्राम पाडलिया तह0 दीगोद की जमाबंदी सम्वत् [illegible] के ख.न. 263,36,66,85,86 प्रतिवादी कम 1 सीताराम हिस्सा 1/5 [illegible] खातेदार दर्ज रेकार्ड है। वादीगण द्वारा वाद के समर्थन प्रस्तुत दस्तावेज [illegible] ग्राम पाडलिया तह0 दीगोद,जमाबंदी ग्राम पाडलिया तह0 दीगोद [illegible] 2032 से 2035 का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के अवलोकन के [illegible] विवादित आराजीयात् प्रतिवादी कम 1 सीताराम की पैतिक सम्पति होना प्रतीत होता है। उक्त विवेचन के आधार पर पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को माल ग्राम पाडलिया तहसील दीगोद ,जिला कोटा के खसरा नम्बर 263 की 0.28, खसरा नम्बर 36 की 0.22, खसरा नम्बर 66 की 0.61, खसरा नम्बर 85 की 0.23, खसरा नम्बर 86 की 2.16 है0 कुल किता 5 की 3.50 है0 भूमि मे हिस्सा 1/5 यथावत रहेगी, एवं ग्राम पाडलियां तह0 दीगोद में खसरा नम्बर 525 की 0.28, खसरा नम्बर 526 की 0.17, खसंरा नम्बर 537 की 2.92, खसरा नम्बर 682 की 0.36 खसरा नम्बर 689 की 0.36 कुल किता 5 की 4.09 है0 भूमि में वादीगण को 1/3, 1/3 हिस्से बतोर खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादी कम 1 सीताराम का नाम डिलीट किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर डिक्री मुर्तिब की जावे। विवादित आराजीयात् में यदि रहन भार दर्ज है तो यथावत रहेगा।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 13/7/24 को सुनाया गया।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद